

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाड़ जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाड़ द्वारा अध्यासित)

प्रा०पत्र संख्या :-206/2019

निर्णय दिनांक:-31.01.2020

उनवान

प्रभू बनाम तहसीलदार

प्रार्थना पत्र तहत दफा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
बाबत किये जाने पत्थरगढी

निर्णय

पत्रावली बाबत पत्थरगढी आराजी ख०नं० 426/5 वाके ग्राम नाहरवाडी तह० निवाड़ पेश हुयी। पेशकार सरकार अनुपस्थित है। अतः एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गयी। बहस पर मनन व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 128 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार निवाड़ को 500/- रूपये मौका कमिश्नर फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते ख०नं० 426/5 वाके ग्राम नाहरवाडी तह० निवाड़ का नियमानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने की सुनिश्चितता करें। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



जे.पी. बैरवा
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी निवाड़